उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-8
संख्या-1/2017/1631/1-8-2017-रा0-8
लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त, 2017

आदेश

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधिकारों का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल ने लोकहित में, आदेश दिया है कि श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बांदा इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेगें तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होगें जिस दर पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2017/1631(1)/1-8-2017-रा0-8, दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, बांदा।
(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बांदा।
(5) चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 को आदेश की दो प्रतियां इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी पर निर्वाहित कराते हुए तामिला की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
(6) श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी की व्यक्तिगत पत्रावली/चरित्र पंजिका में रखे जाने हेतु।
(7) गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in